परम आवश्यक

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास,
रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675778, 2675779
पत्रांक : 9060/उ.सू.आ./2013–14
दिनांक : 06/08/2013

प्रिय

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2132/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 28/06/13 का संदर्भ करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2013 अधिसूचित की गयी है.

2. पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 118/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 07/01/13 के माध्यम से उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2012 बनाये जाने के उपरांत आयोग द्वारा नियमवाली के सम्बंध में अपनी टिप्पणियों/आपत्तियों से तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अवगत भी कराया गया था (अ.शा. पत्रांक 565/उ.सू.आ./2013 दिनांक 15/01/13). इसके उपरांत माह जून 2013 में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयोग के साथ अनौपचाकि वार्ता की गयी तथा आयोग के सुझावों पर काफी सीमा तक सहमति हो जाने के आधार पर आयोग द्वारा कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया (पत्रांक 7320/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 21/06/13, प्रतिलिपि संलग्न).

3. शासन द्वारा दिनांक 28/06/13 को जो नई नियमावली अधिसूचित की गयी है उस पर दिनांक 29/07/13 को पूर्ण आयोग की बैठक हुयी. बैठक में नियमावली के विभिन्न नियमों का अध्ययन कर विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष आयोग स्तर पर सामने आये :

3.1नियमावली के **नियम 5(च)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि *अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पश्ट रूप से न होने की दषा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक 'सूचना' अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' का सुस्पश्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक 'सूचना' अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रकिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी.*

जहां तक इस नियम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा कर के उसे स्पष्ट करने का जो प्राविधान है, उसमें आयोग को गंभीर आपत्ति है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है तथा नियमावली द्वारा ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया जा सकता है. इस प्राविधान की आड़ में लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक रूप से अत्यधिक विलम्ब से पत्र प्रेषित किया जायेगा जिसमें समय सीमा के अभाव में सूचना दिये जाने में भी विलम्ब होगा. अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान न होने के कारण नियमावली मे ऐसी व्यवस्था करना विधि सम्मत नहीं है.

इस नियम के दूसरे भाग में *''लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा''* की व्यवस्था भी उचित नहीं है. उत्तराखण्ड एक पर्वतीय प्रदेश है. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र से तथा विदेश से भी सूचना हेतु आवेदन प्रेषित कर सकता है. आवेदित सूचना के सुस्पष्ट चिन्हीकरण हेतु अनुरोधकर्ता को सूचना का निरीक्षण करने हेतु कहे जाने पर प्रदेश के दूरस्थ स्थलों से आवेदनकर्ता को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर अथवा इन स्थान से पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे स्थानों में स्थित लोक प्राधिकारी कार्यालय में जाने की अपेक्षा की जायेगी. इससे आवेदनकर्ताओं को अत्यधिक कठिनाई होगी तथा सूचना

का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकार के प्रयोग हेतु उनके समय की बर्बादी के साथ–साथ दुर्घटना/दैवीय आपदा आदि विषम स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है. अतः नियमवाली में ऐसी व्यवस्था पूर्ण–रूपेण अनुचित है तथा अनुरोधकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करने से हतोत्साहित करने के समान है.

अतः लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य सूचना के चिन्हीकरण हेतु पत्र प्रेषित करने तथा सूचना का निरीक्षण करने के इस प्राविधान को नियमावली से निरस्त किया जाये ताकि सूचना अनुरोधकर्ता सूचना मांगने में हतोत्साहित न हों. जो व्यवस्था मूल अधिनियम में नहीं है उसे नियमावली में नहीं किया जा सकता है. अतः इस नियम को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाये.

3.2नियमावली के **नियम 8(छ)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि *आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पश्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित 'सूचना' का स्पश्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान कर निरीक्षण करके करने हेतु निर्देषित करेगा/प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेष देगा .*

इस सम्बंध में आयोग का मत है कि जो सूचना अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के भीतर देय है उसे लोक सूचना अधिकारी के द्व अस्पष्ट एवं भ्रामक रूप से दिये जाने अथवा सूचना न दिये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर आवेदक द्वारा चिन्हि सूचना को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके दिये जाने का जो प्राविधान दिया गया है वह अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल है. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा यदि सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप से किये जाने हेतु अथवा अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आवेदक को निर्देशित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को सूचना निःशुल्क दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना अधिनियम में निर्धारित 30 दिन की अवधि के बाद दी जा रही है. अतः ऐसी स्थिति में प्रथम अपील के उपरांत सशुल्क सूचना दि जाने का प्राविधान समाप्त किया जाये.

3.3सूचना आयोग में द्वितीय अपील किये जाने से संबधित नियम 9(पॉच) के अंग्रेजी संस्करण में ''No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question" में "No other" के स्थान पर "No other Public Authority" लिखा जाना उचित रहेगा.

3.4नियमावली के **नियम 9(छ)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि *लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा.आयोग उक्त के बाद अन्तरिम निर्देष द्वितीय अपील में अर्न्तग्रंस्त विशय से इतर विशय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा. द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा.*

इस सम्बंध में आयोग का मत है कि चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीलों के निस्तारण के सम्बंध में समय सीमा का कोई प्राविधान नही दिया गया है, तथा अधिनियम के अंतर्गत आयोग ही अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने क आयोग ही अंतिम मंच है. अतः इसमें किसी प्रकार की समय–सीमा का निर्धारण उचित नहीं है. वैसे भी आयोग द्वारा द्वितीय अपील का निस्तारण कम से कम समय में किये जाने का प्रयास किया जाता है. अतः जो व्यवस्था अधिनियम में नहीं दी गयी है उसे नियमावली के माध्यम से लागू करने का औचित्य नहीं है. अनुरोध है कि इस प्राविधान को समाप्त कर दिया जाये.

3.5नियमावली के **नियम 9(दस)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि *आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत षास्ति आरोपित की जानी आवष्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 20 के अनुसार षास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेष के साथ प्रारम्भ की जायेगी. षास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा.*

इस सम्बंध में आयोग का मत है कि आयोग द्वारा किसी भी मामले में सम्यक विचारोपरान्त ही अनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है. कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष प्राप्त स्पश्टीकरण का परीक्षण के उपरांत ही आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20 के अन्तर्गत भाास्ति आरोपित की जाती है.

जहॉ तक उक्त **नियम 9(दस)** में भाास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नही रखे जाने की बाध्यता रखी गयी है; इस सम्बंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 19(8) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही अपीलों की सुनवाई का एक अभिन्न अंग है. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत ही आयोग द्वारा शास्ति आरोपण के कारणों तथा उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है. कारण बताओ नोटिस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने पर आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है तथा सूचना उपलब्ध कराने सम्बंधी निर्देश भी दिये जाते हैं तथा गुण दोष के आधार पर अपील का निस्तारण किया जाता है जिसमें शास्ति आरोपण सम्बंधी आदेश भी पारित किये जा सकते हैं.

अतः इस विषय पर आयोग का स्पष्ट मत है कि उक्त **नियम 9(दस)** जिसके द्वारा आयोग द्वारा की जाने वाली द्वितीय अपीलों की सुनवाई तथा शास्ति आरोपण की कार्यवाही को पृथक–पृथक किये जाने की व्यवस्था की गयी है वह अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है. अतः इस प्राविधान को समाप्त किया जाये.

4. शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2013 पर आयोग की उपरोक्त टिप्पणियों को मैं आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि कृपया आयोग की टिप्पणियों पर शासन स्तर से यथोचित परीक्षण एवं आवश्यक परामर्श के पश्चात नियमावली में यथास्थान संशोधन यथाशीघ्र कराने का कष्ट करेंगे. कृपया इस प्रकरण पर शासन स्तर से की गयी कार्यवाही से आयोग को भी तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून